

फर्द अहकाम
(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, शिव

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
उमाराम पुत्र निम्बाराम जाति जाट, निवासी मोखाब खुर्द तहसील शिव, जिला बाडमेर वगैरह (12)		चेनाराम पुत्र नवलाराम जाति जाट, निवासी मोखाब खुर्द तहसील शिव, जिला बाडमेर वगैरा (10)

किस्म मुकदमा राजस्व वाद (धारा 188)

मुकदमा नम्बर 25/2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
14.02.2025	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलाण्ट के अधिवक्ता श्री बृजमोहन कुमावत ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेन्ट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब आईन्दा दिनांक 16/4/2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">सहायक कलक्टर (SDO) शिव</p>	<p>1323 14.2.25</p>
16.4.25	<p>पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दीगर कार्यों में व्यस्त होने के कारण इलत्या होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 23.5.25 को पेश हो।</p>	
23/05/25	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण के तामिली हेतु शजिदुल्लेह शर्की के नोटिसो आ इन्तरार घोर दिनांक 04.07.2025 से पेश हो।</p>	
7.7.25	<p>पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दीगर कार्यों में व्यस्त होने के कारण इलत्या होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 23.7.25 को पेश हो।</p>	
23.7.25	<p>पत्रावली पेश। वादी वकील उपस्थित। पत्रावली वास्ते विप्रार्थीगण के तामिली शजिदुल्लेह से करवाने हेतु दिनांक 22.08.25 से पेश हो।</p>	



22.8.25

पत्रावली पेश हुई।
वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित।
पत्रावली में आज कोर्ट प्रवादी कार्यवाही नहीं होने के
कारण इलतवा हाकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार
दिनांक 26.9.25 को पेश हो।

~~22.8.25~~

26.09.25

पत्रावली पेश। वादी वकील उपस्थित।
पत्रावली में प्रतिवादी गण की तामिली हेतु
पर्याप्त समय देकर दिये जाने के बावजूद तामिली
नहीं उतवाई गई है। अतः पत्रावली के लेकर
पक्षकार व वकील के गंभीर नहीं होने तथा
तामिली नहीं उतवाने पर इन्हें बाद इती स्ट्रेज
पर तामिली के अभाव में खारिज किया जाता है।
पत्रावली नम्बर से उम सेवर दाखिल
रहस्य है।